पवन प्रकाश बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 62/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/363

एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से के पिता का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से ानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः ंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) जा डेरोली खाता संख्या 124 में दर्ज खसरान् 120, 147, 160, 193/1, 199, 55 व खाता संख्या 0 में दर्ज खसरा 193 में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : **आदेश** : : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। म–डेरोली तहसील–जायल जिला–नागौर के खाता संख्या 124 में दर्ज खसरान् 120, 147, 160, 3/1, 199, 55 व खाता संख्या 120 में दर्ज खसरा 193 में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम र्थी पवन प्राकश वैष्णव पुत्र जगदीश प्रसाद व अप्रार्थी संख्या 2 से 5 क्रमशः देवराज पुत्र गदीशप्रसाद, सम्पतलाल पुत्र जगदीशप्रसाद, चंदादेवी पुत्री जगदीशप्रसाद, लालीदेवी पुत्री गदीशप्रसाद, जातियान साद निवासीगण डेराली के स्थान पर पवन प्राकश वैष्णव पुत्र छोटूराम, वराज वैष्णव पुत्र छोटूराम, संम्पत लाल वैष्णव पुत्र छोटूराम, चंदा देवी पुत्री छोटूराम तथा लीला वी पुत्री छोटूराम जातियान साद निवासीगण डेरोली दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार जायल को ादेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक 24/01/2023 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner